(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 75/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ),- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 17 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक भारत के राज्यक्षेत्र में लागू होगा ।";

(ii) नियम 19 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररुप **जीएसटीआरईजी-14** में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा । "

(iii) 23 अक्तूबर, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा, -

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) X शुद्ध आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां, -

(अ) "प्रतिदाय की रकम" से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुज्ञेय हो;

(आ) "शुद्ध आई टी सी" से ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अवधि के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है ।

(इ) "माल के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से ऐसे प्रदायों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) "सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात् :-

सेवाओं का शून्य दर प्रदाय, सेवाओं के शून्य पर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों का शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूर्ण हो गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि से पहले की किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं का प्रदाय पूर्ण नहीं हुआ है ;

(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से सुसंगत अवधि के दौरान,-

(क) शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य और

(ख) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है,

को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का आवर्त अभिप्रेत है ;

(ऊ) सुसंगत अवधि से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है ।

(4क) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना संख्याक 48/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर,2017 के फायदे का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर प्रदाय बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा ।

(4ख) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना सं. 40/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या दोनों के फायदे का उपभोग किया है, माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किए गए कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने में प्रयोग की गई सीमा तक अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अनुदत्त किया जाएगा ।";

(IV) नियम 95 में-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, **प्ररुप जीएसटीआरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलैक्ट्रानिकरुप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररुप जी एस टी आर 11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के विवरण के साथ आवेदन करेगा" ;

(ख) उपनियम (3) के खंड (क) में "और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़ कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(V) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 96 में,-

(क) शीर्षक में "निर्यात किए गए माल" शब्दों के पश्चात् " या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(9) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ऐसे प्रदायों को प्राप्त नहीं करेगा जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना सं. 48/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या अधिसूचना संख्यांक 40/2017- केन्द्रीय कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या अधिसूचना संख्यांक 41/2017-एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपयोग किया है ।"

(vi) प्ररूप जी एस टी आर ई जी-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-10
[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करवाने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(v)	भारत में नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई है (क) भारत में प्रतिनिधि का स्थाई खाता संख्या (ख) भारत में प्रतिनिधि का ई-मेल पता (ग) भारत में प्रतिनिधि का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

भाग-ख

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

<table>
<tr><td rowspan="12">1.</td><td colspan="6">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होगा)</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रथम नाम</td><td colspan="2">मध्य नाम</td><td colspan="2">अन्तिम नाम</td></tr>
<tr><td colspan="2">फोटो</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">लिंग</td><td colspan="3">पुरूष/स्त्री/अन्य</td></tr>
<tr><td colspan="3">पदनाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">जन्म की तारीख</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td colspan="3">पिता का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">राष्ट्रीयता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">आधार, यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता</td><td colspan="3">पता पंक्ति 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">पता पंक्ति 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">पता पंक्ति 3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआरएल):
1.
2.
3.</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अधिकारिता</td><td colspan="2">केन्द्र</td><td colspan="2">बैंगलुरु पशिचम, सी.जी.एस.टी, कमिश्नरेट</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="6">भारत में प्रतिनिधि के बैंक खाते के ब्यौरे (यदि नियुक्ति हुई है)</td></tr>
<tr><td>खाता सं.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">खाता का प्रकार</td><td></td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td></td><td>शाखा का पता</td><td></td><td>आइएफएससी</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="6">अपलोड किए गए दस्तावेज
प्ररूप में फील्ड मूल्यों के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="6">घोषणा
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।
मैं.........यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।
हस्ताक्षर
स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख: पदनाम :</td></tr>
</table>

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:–

1.	भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान का सबूत:

	(क) स्वयं के परिसरों के लिए – नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज। (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति ।
2.	निम्नलिखित के सबूत : बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है। निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है। उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
3	बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।
4	भारत में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कापी, यदि लागू हों ।
5	प्राधिकार प्ररूप:- प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) मैं .....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए आरईजी का आवेदन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> प्राधिकृत हूं। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं। क्र. सं. पूरा नाम पदाभिधान/प्रास्थिति हस्ताक्षर 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे। (नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर स्थान तारीख: पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश –

1. यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारत में नहीं रहता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा । प्रमाणीकरण इलैक्ट्रोनिक वेरीफिकेशन कोड (ई वी सी) के माध्यम से किया जाएगा ।
2. भारत में नियुक्ति प्रतिनिधि से अभिप्रेत एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है ।

(vii) प्ररूप जी.एस.टी. आर ई जी – 13,

(क) भाग-ख के क्रम सं.-4 में "राज्य में अस्तित्व का पता" शब्दों के स्थान पर "अस्तित्व का पता जिसके संबंध में केन्द्रीयकृत यू.आई.एन. गया है" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ख) अनुदेशों में, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलैक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा या अन्यथा ।";

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप जीएसटीआर -11

[**नियम** *82* **देखें**]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक प्रदाय का विवरण

वर्ष	
कर अवधि	

1	यू एन आई															
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम	Auto populated														

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक /नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3क. प्राप्त बीजक										
3ख. प्राप्त नामे नोट/जमापत्र										

3. प्राप्त आवक प्रदाय के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

हस्ताक्षर .....

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति .....

अनुदेश- :

1. **प्रयुक्त शब्द :-**

(क) जीएसटीआई एन: - माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक

2. प्रतिदाय आवेदन उसी राज्य में फाइल करना होगा, जहां विसिष्ट पहचान संख्यांक दिया गया है ।

3. प्रतिदाय प्रयोजन के लिए केवल वही बीजक प्रविष्ट किए जा सकेंगे जिन पर प्रतिदाय मांगा गया है ।

(ix) प्ररूप जी.एस.टी. आरएफडी-10, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूनिक पहचान संख्या :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही): दिन /मास /वर्ष से तक..... <दिन /मास /वर्ष >

5. ए आर एन और जी एस टी आर 11 की तारीख : ए आर एन <.....> <**दिन /मास/ वर्ष**>

6. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर >
<शब्दों में>

राज्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कुल				

7. बैंक खाते का ब्यौरा:

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाता धारक / संचालक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई एफ एस सी

(छ) एम आई सी आर

8. सत्यापन

मैं, ... <<दूतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम>> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

अनुदेश –

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन तिमाही आधार पर किया जाएगा ।
2. सारणी सं. 6, जी एस टी आर-11 की सारणी 3 में दिए गए ब्यौरे से स्वतः भरा जाएगा ।
3. प्रतिदाय रकम को पात्रता के अनुसार बदलने की सुविधा होगी ।
4. एमईए द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र जिनमें प्रतिदाय की सुविधा अनुदत्त की गई है, को उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रतिदाय दावा प्रसंस्करण करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(x) प्ररूप जी एस टी डी आर सी -07 में, सारणी के क्रम सं. 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि.1531(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.70/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 21 जून, 2017 द्वारा संशोधित हुए थे ।